

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025—कार्तिक 16, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक ESTB(1)/91/2025-GAD-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11-04-2025 द्वारा श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) को दिनांक 24-04-2025 से दिनांक 08-08-2025 तक स्वीकृत संतान पालन/अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 09-08-2025 से 14-08-2025 तक (दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2025 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) 06 दिवस का अर्जित अवकाश में वृद्धि किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/431/2025-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पद (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री लक्ष्मण सिंह (2010) उप वन संरक्षक	वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला-गरियाबंद	उप वन संरक्षक (रोकड़), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर तथा अति. प्रभार संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2.	श्री दूलेश्वर प्रसाद साहू (2013) उप वन संरक्षक	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर	उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर)
3.	श्रीमती प्रेमलता यादव (2015) उप वन संरक्षक	उप वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), कोरबा
4.	श्रीमती पुष्पलता टंडन (2016) उप वन संरक्षक	वनमण्डलाधिकारी, बिलाईगढ़-सारंगढ़ वनमण्डल, सारंगढ़	वन उप संरक्षक (वन्यजीव), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर
5.	श्री शशिगानंदन के. (2017) उप वन संरक्षक	वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), गरियाबंद
6.	श्री बी. एस. सरोटे (2019) उप वन संरक्षक	वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद	उप वन संरक्षक (सतर्कता), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर
7.	डॉ. वेंकटेशा एम.जी. (2022) उप वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल, महासमुंद	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), नारायणपुर
8.	श्री चन्द्र कुमार अग्रवाल (2022) उप वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री ऋषभ जैन (2022) उप वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्व भानुप्रतापपुर
10.	श्री विपुल अग्रवाल (2022) उप वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, जांजगीर-चांपा	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), सारंगढ़-बिलाईगढ़
11.	श्री अभिषेक अग्रवाल (2022) उप वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), बालोद

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2025

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12788/क/भू-अर्जन/202311052900001/अ 82/2025.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	बरपाली	सुखरीखुर्द	1.6211 हे.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत बघोदा माइनर नहर के निर्माण/विस्तार

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-11-2025 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम सुखरीखुर्द नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत बघोदा माइनर नहर के निर्माण/विस्तार
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	15
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाला लाभ | — | सिंचाई सुविधा |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2022-23/3320.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	बहुटाडोल प.ह.नं. 03	0.721	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड	परासी एनीकट योजना के अंतर्गत डुबान कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, रायपुर (छ.ग.)**

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्रमांक/63/रीडर/अ.भू.अ./2025.— संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-62/2008/सात-3/रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री नवीन कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

डॉ. गौरव कुमार सिंह,
कलेक्टर.**कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)**

रायगढ़, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

क्रमांक/1086/एफ 6-108/2016/सात-1/5883/2025.— छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम (1)	तहसील (2)	राजस्व निरीक्षक मण्डल (3)	राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ करने का क्षेत्र (4)	प.ह.नं. (5)	रिमार्क (6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला	ग्राम कांटाझरिया का आश्रित पारा मोहल्ला सिंघनपुर क्षेत्र	07	राजस्व एवं वन विभाग में अभिलेख नहीं होने के कारण

मयंक चतुर्वेदी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 1047/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Smt. Monika Jaiswal	II District & Additional Sessions Judge, Mahasamund	District & Additional Sessions Judge (F.T.C.), Mahasamund

By order of Hon'ble the High Court,
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.